



बरेली वविदास्पद फ़िल्म 'गोलियों की रासलीला-रामलीला' के नरिदेशक संजय लीला भंसाली तथा नायक, नायकि समेत **12** लोगों पर उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में क अदालत के नरिदेश पर मुक्दमा दर्ज किया गया है।

पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि न्यायकि मजस्ट्रेट (प्रथम) आर.पी.गुप्ता के अदालत के नरिदेश पर 'गोलियों की रासलीला-रामलीला' के नरिदेशक संजय लीला भंसाली, फ़िल्म नरिमाता कम्पनी इरोज इंटरनेशनल, इस कम्पनी से जुड़े कशिोर लुल्ला, फ़िल्म के नायकरणवीर सहि, नायकि दीपकि पादुकेण तथा फ़िल्म में आइटम गीत पर नृत्य करने वाली प्रथिक चोप। और कुछ अन्य सहायक कलाकारों समेत **12** लोगों के खिलाफ ज़िले के भमौरा थाने में क्त देर रात मुक्दमा दर्ज किया गया।

गौरतलब है कि अदालत ने गत **18** नवम्बर के ज़िले के भमौरा क्षेत्र के नविसी कैलाश चन्द्र के याचकि पर फ़िल्म के नरिदेशक संजय लीला भंसाली, नायकरणवीर सहि, नायकि दीपकि पादुकेण तथा फ़िल्म में आइटम गीत पर नृत्य करने वाली प्रथिक चोप। समेत पूरी टीम के खिलाफ मुक्दमा दर्ज करने के नरिदेश दिये थे।

कैलाश चन्द्र ने अदालत में दायर याचकि में आरोप लगाया था कि इस फ़िल्म में अश्लीलता और हिसा क महमिमंडन किया गया है।

उन्होंने याचकि में कहा था कि रामलीला के परम्परागत रुप से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन वृत्त क आईना माना जाता है और हिसा तथा अश्लीलता प्रधान फ़िल्म 'रामलीला' से हनिदुओं के भावना। आहत हुई है।

गौरतलब है कि **15** नवम्बर के रलीज हुई 'गोलियों की रासलीला-रामलीला' शुरुआत से ही वविदों में आ गयी थी। देश के वभिन्न हिसिों में इस फ़िल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के ली। शविसेना समेत तमाम हनिदूवादी संगठनों ने आंदोलन किया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ पीठ ने गत **22** नवम्बर के उत्तर प्रदेश में इस फ़िल्म के उसके असल नाम के साथ प्रदर्शति करने पर रोक

